इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2021—अग्रहायक 12, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्रमांक 1817/मप्रविनिआ/2021—जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी– 35(II), वर्ष 2015} दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को तथा तत्पश्चात इनके संशोधन अधिसूचित किये गये थे तथा जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 को इनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, अतएव वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की आगामी नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) की निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने की दृष्टि से, ये विनियम अधिसूचित किये जा रहे हैं।

अतएव विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(यध) सहपठित धारा 45 तथा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत के प्रभार निर्धारित किये जाने बाबत् विधियां तथा सिद्धान्तों तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान जो दिनांक 31 मार्च, 2027 तक, अर्थात् पांच वर्ष तक जारी रहेगी, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत के चक्रण तथा विद्युत प्रदाय की टैरिफ संबंधी निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

अध्याय एक–प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1.1 इने विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 {आरजी–35(III), वर्ष 2021}"** है।

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

1.3 ये विनियम विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावशील रहेंगे। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत चक्रण एवं प्रदाय संबंधी टैरिफ याचिकाएं इन विनियमों के अनुसार दाखिल की जाएंगी।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत चक्रण तथा प्रदाय हेतु प्रभारित की जाने वाली विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों को लागू होंगे।

3. परिचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चतम होना :

इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं को समुन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार के समुन्नत मानदण्डों पर जब भी सहमति हो जाएगी, वे विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

4. परिभाषाएं

4.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) :

(ख) **"सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता"** से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापारों हेतु इन विनियमों के अनुसार विद्युत–दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय किया गया प्राक्कलन ;

(ग) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर), विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों के अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(घ) **"अंकेक्षण"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 के उपबन्धों और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय–दस अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक ;

(ङ) **"अधिकृत भार"** को किलोवाट, केवीए अथवा अश्वशक्ति (हार्स पावर) यूनिटों में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(च) **"प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 70 में उल्लिखित किया गया है ;

(छ) **"बैंक दर"** से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर घोषित की गई बैंक दर ;

(ज) **"आधार दर (बेस रेट)"** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय–समय पर घोषित की गई एकल–वर्ष मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फण्ड बेस्ड लैंडिंग रेट, अर्थात् निधि–आधारित ऋण दर की एकल वर्ष सीमान्त लागत ;

(झ) **"हितग्राहियों/लाभार्थियों"** से अभिप्रेत है

एक. चक्रण व्यापार (व्हीलिंग बिजनेस) के संबंध में विद्युत वितरण प्रणाली, क्रेताओं तथा उपभोक्ताओं से संयोजित विद्युत उत्पादन कम्पनियां ;

दो. विद्युत आपूर्ति व्यापार के संबंध में उपभोक्तागण ;

(ञ) **"थोक ऊर्जा पारेषण अनुबन्ध"** से अभिप्रेत है एक निष्पादित अनुबन्ध जिसमें ऐसी निबन्धन तथा शर्तें शामिल की गई है जिसके अन्तर्गत एक पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता कतिपय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली तक पहुंच हेतु प्राधिकृत है ;

(ट) **"कानून में परिवर्तन"** से अभिप्रेत है निम्न घटनाओं में से किसी भी एक का घटित होना :

एक. किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना ; अथवा

दो. किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिवर्तन करना, निरस्त करना या उसे फिर से अविनियमित करना ; अथवा

तीन. किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्याधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना ; अथवा

चार. किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना ; अथवा

पांच. इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत पारेषण प्रणाली से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबन्ध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन किया जाना ;

छः. करों अथवा शुल्कों में कोई परिवर्तन, अथवा केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किन्हीं करों या शुल्कों को प्रवर्तित करना, संचालन एवं संधारण से संबंधित करों तथा शुल्कों में किसी परिवर्तन को छोड़कर :

परन्तु यह कि विद्युत क्रय अनुबंध (पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट) या पारेषण सेवा अनुबंध (ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट) के संबंध में कानून में परिवर्तन के कारण वित्तीय भार विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) या पारेषण सेवा अनुबंध (टीएसए) के उपबन्धों से संरेखित होगा ;

(ठ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ड) **"प्रतिस्पर्धी बोली"** से अभिप्रेत है विद्युत, उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्तिकर्ता (प्रोक्यूरर) द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध की निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त की गई बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी सम्मिलित किया जाएगा ;

(ढ) **"संविदाकृत ऊर्जा"** से अभिप्रेत है मेगावाट में अभिव्यक्त की गई ऊर्जा जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वितरण प्रणाली में चक्रण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है ;

(ण) **"नियंत्रण अवधि"** से अभिप्रेत है नियंत्रण अवधि (कन्ट्रोल पीरियड) जो दिनांक एक अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होगी तथा जैसा कि आयोग द्वारा इसमें आगे समयावृद्धि की जाए ;

(त) **"क्रेता"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कोई आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया हो अथवा एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा निर्बाध (खुली) पहुंच का लाभ प्राप्त करने वाला कोई उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो ;

(थ) **"पृथक्ककृत तिथि"** अर्थात् 'कट–ऑफ डेट' से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से छत्तीस माह पश्चात् के कलेण्डर माह की अन्तिम तिथि ;

(द) **"दिवस"** से अभिप्रेत 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है ;

(ध) **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत तन्तुपथ (लाइन) अथवा विद्युत उपकेन्द्र को उसके घोषित वोल्टेज स्तर पर प्रभारित करने वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे प्रभारित करने की तिथि अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित करने हेतु तैयार घोषित किए जाने की तिथि से सात दिवस के पश्चात् की तिथि, परन्तु जिसे क्रेताओं पर आरोप्य कारणवश प्रभारित न किया जा सका हो ;

(न) **"अपूंजीकरण"** से अभिप्रेत है परिसम्पत्तियों के हटाये जाने से तत्संबंधी परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी की जाना जैसा कि आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के अन्तर–इकाई अन्तरण या फिर सेवा से निष्कासित की गई परिसम्पत्तियों से तत्संबंधी इसे स्वीकार किया गया हो ;

(प) **"घोषित वोल्टेज"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथासंशोधित म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गयी वोल्टेज ;

(फ) **"माना गया वितरण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी माना गया हो ;

(ब) **"डिस्कॉम"** से अभिप्रेत है वितरण कंपनी अथवा विद्युत वितरण कम्पनी जिसके अंतर्गत "ईस्ट डिस्कॉम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, "वेस्ट डिस्कॉम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा "सेंट्रल डिस्कॉम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ;

(भ) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु किसी वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित करने हेतु प्राधिकृत है ;

(म) **"वितरण हानि"** से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत वितरण प्रणाली में घटित होने वाली कुल ऊर्जा की हानियां जिन्हें प्रणाली बाबत पोषित की गई ऊर्जा तथा इसके विक्रय के अन्तर के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो ;

(य) **"विद्यमान परियोजना"** से अभिप्रेत है दिनांक 1.4.2022 से पूर्व किसी तिथि को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई परियोजना ;

(यक) **"विद्युत–दर तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व"** से अभिप्रेत है विद्युत–दरों (टैरिफ्स) तथा प्रभारों (चार्जेस) के प्रचलित स्तर पर विनियमित व्यापार से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपार्जित किया जाने वाला अनुमानित राजस्व ;

(यख) **"किया गया व्यय"** से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी या ऋण हो अथवा दोनों हो जिसके लिए उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया हो तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि जारी न की गई हो ;

(यग) **"अति उच्च दाब उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 33000 वोल्ट से अधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो, तथापि, समय–समय पर यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2015 के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(यघ) **"वित्तीय विवरण–पत्र"** को कंपनी अधिनियम 2013 की सुसंगत अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(एक) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन–पत्र जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची तीन के भाग दो में अन्तर्विष्ट प्रपत्र के अनुसार तैयार किया जाएगा ;

(दो) लाभ तथा हानि का लेखा या किसी ऐसी कंपनी के प्रकरण में जो अपनी गतिविधियों का संचालन लाभार्जन हेतु न कर रही हो, वित्तीय वर्ष हेतु आय तथा व्यय लेखा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची तीन के भाग दो में अन्तर्विष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में किया जाएगा ;

(तीन) वित्तीय वर्ष हेतु रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (40) के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक के रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र (AS-3) के अनुसार तैयार किया जाएगा ;

(चार) सांविधिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन ;

(पांच) समाधान (मिलान) विवरण–पत्र (Reconciliation Statement) जिसे सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी के रूप में इकाई के कुल व्ययों, राजस्व, परिसम्पत्तियों/आस्तियों तथा देयताओं एवं

आयोग द्वारा प्रत्येक विनियमित व्यापार हेतु पृथक से व्ययों, राजस्व, परिसम्पत्तियों/ आस्तियों तथा देयताओं के मध्य तथा अविनियमित व्यापारिक संकार्यों (आपरेशन्स) को दर्शाते हुए विधिवत प्रमाणित किया जाएगा ;

(छः) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये लागत प्रलेख (कॉस्ट रिकार्ड) मय लागत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के,

(सात) पूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण पत्र, यदि लागू हो ; तथा

(आठ) परिशिष्टबद्ध किया गया व्याख्यात्मक विवरण जैसा कि इसे उपरोक्त उपखण्ड (एक) से उपखण्ड (सात) के अंतर्गत किसी अभिलेख में संदर्भित किया गया हो :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों, पृच्छा तथा लेखों से संबंधित विवरण (नोट्स), मय वित्तीय विवरण–पत्र के तथा सांविधिक अंकेक्षक द्वारा विशेष रूप से चिन्हांकित किये गये मुख्य विषयों की संक्षेपिका तथा इनके निराकरण हेतु उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु, यह और कि विद्युत वितरण व्यवसाय में संलग्न स्थानीय प्राधिकरण के प्रकरण में, वित्तीय विवरण–पत्र का अभिप्राय उपरोक्त उल्लेखित की गई मदों से होगा जैसा कि इन्हें ऐसे स्थानीय प्राधिकरण हेतु लागू सुसंबद्ध संविधियों के अनुसार तैयार तथा संधारित किया गया हो ;

(यङ) **"विशेष आकस्मिक घटना"** का किसी पक्षकार के संबंध में तात्पर्य है कोई घटना या परिस्थिति या फिर घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन जिस पर सामान्यतः किसी भी प्रकार का युक्तियुक्त नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है, जो कथित पक्षकार की भूल–चूक के कारण घटित नहीं होता तथा जिनकी किसी युक्तियुक्त देखभाल तथा कर्मनिष्ठता के बावजूद रोकथाम किया जाना संभव नहीं हो पाता तथा पूर्व उल्लेखितों की व्यापकता को सीमित किये बगैर, इसमें निम्न घटनाओं तथा परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाएगा :

(क) दैवी घटनाएं जिनमें तड़ित, तूफान, भूकम्प, बाढ़, मूसलाधार वर्षा, सूखा तथा प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं सम्मिलित होंगी, जो मात्र इन तक ही सीमित न होंगी ;

(ख) हड़तालें तथा औद्योगिक विक्षोभ ;

(ग) युद्ध की घटनाएं, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, दंगे, विद्रोह या कोई सैनिक कार्रवाई ;

(घ) अपरिहार्य दुर्घटना जो मात्र अग्निकांड, विस्फोट, रेडियोधर्मी संदूषण तथा विषैले रासायनिक संदूषण तक ही सीमित न होगी ;

(ङ) ग्रिड का किसी प्रकार से अवरूद्ध होना या उसमें व्यवधान उत्पन्न होना जो संबद्ध भार प्रेषण द्वारा वांछित हो या निर्देशित किया गया हो ;

(यच) **"उच्च दाब उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट से अनधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो समय–समय पर यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(यछ) **"राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पारेषण तन्तुपथों (लाइनों) के माध्यम से विद्युत के सम्प्रेषण हेतु कतिपय प्रणाली तथा इसमें सम्मिलित हैं पारेषण तन्तुपथ (लाइनें), उपकेन्द्र (सबस्टेशन) तथा राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के सहायक उपकरण :

परन्तु यह कि पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के मध्य और विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणाली के मध्य पृथक्करण के बिन्दु की परिभाषा अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा निर्देशित की जाएगी ;

(यज) **"प्रोत्साहन"** से अभिप्रेत है लक्ष्य की प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किया गया प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) (अनुदान को छोड़कर) जैसा कि इसे विनियमों तथा विभिन्न शासकीय स्कीमों (योजनाओं) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को देय आपूर्ति की लागत में कमी होती है ;

(यझ) **"निम्न दाब उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अनधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो कि, तथापि, समय–समय पर यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(यञ) **"दीर्घ–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में पांच वर्षों से अधिक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो ;

(यट) **"मध्यम–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जो चक्रण के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह से अधिक तथा पांच वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो ;

(यठ) **"अधिकारी"** से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी ;

(यड) **"संचालन एवं संधारण व्यय"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तथा आपूर्ति–तन्त्र (नेटवर्क) के संचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय, उसके किसी अंश को सम्मिलित करते हुए तथा इसमें शामिल होंगे जनशक्ति, मरम्मत, कल–पुर्जे, उपभोज्य वस्तुएं, बीमा तथा अतिरिक्त किये गये कोई व्यय ;

(यढ) **"परियोजना"** से अभिप्रेत है, विद्युत वितरण प्रणाली में की गई किसी वृद्धि, परिवर्तन अथवा आवर्धन संबंधी योजना ;

(यण) **"युक्तिसंगत होने संबंधी परीक्षण"** से अभिप्रेत है, किया गया व्यय या जिसे किया जाना प्रस्तावित है, वित्त प्रबन्ध योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत तथा समय–लंघन तथा ऐसे अन्य कारक जैसा कि वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उचित समझे जाएं, का युक्तियुक्त होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण ;

(यत) **"निर्धारित वोल्टेज"** से अभिप्रेत है, कोई वोल्टेज जिस पर विद्युत वितरण प्रणाली परिचालन बाबत रूपांकित की गई हो ;

(यथ) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव ;

(यद) **"लघु–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है, एक ऐसा व्यक्ति जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो ;

(यध) **"विद्युत प्रदाय व्यापार"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार अपने क्रेताओं के विद्युत विक्रय का व्यापार ;

(यन) **"विद्युत–दर (टैरिफ)"** से अभिप्रेत है, विद्युत वितरण तथा आपूर्ति हेतु उसकी निबंधनों तथा शर्तों सहित उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों की अनुसूची ;

(यप) **"विद्युत–दर अवधि"** से अभिप्रेत है, वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किया जाता है;

(यफ) **"अनियन्त्रणीय लागतों"** से अभिप्रेत है, इन विनियमों के विनियम 18.1 में विनिर्दिष्ट की गई अनियन्त्रणीय कारकों को आरोप्य लागतें ;

(यब) **"उपयोगी जीवनकाल"** का किसी विद्युत वितरण प्रणाली की इकाई के संबंध में इसका तात्पर्य वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से उपकेन्द्र हेतु 25 वर्ष तथा तन्तुपथों हेतु 35 वर्ष होगा ;

(यभ) **"चक्रण व्यापार (व्हीलिंग बिजनेस)"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के चक्रण हेतु वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित करने का व्यापार ;

(यम) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, दिनांक 01 अप्रैल को प्रारंभ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, तथा

(एक) **"चालू वर्ष"** से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसमें वार्षिक लेखा का विवरण–पत्र अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका दाखिल की गई हो ;

(दो) **"पिछला वर्ष"** से अभिप्रेत है, चालू वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष ;

(तीन) **"आगामी वर्ष"** से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के पश्चात् आने वाला अगला वर्ष।

4.2 इन विनियमों में घटित होने वाले शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में इनके लिये निर्दिष्ट किया गया हो।

5. विनियमों का विस्तार क्षेत्र :

आयोग अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अधीन निबन्धन एवं शर्तों को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों का अवधारण निम्न घटकों को सम्मिलित करते हुए करेगा :

(क) विद्युत के चक्रण (व्हीलिंग) हेतु ;

(ख) उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति हेतु ;

(ग) वितरण निर्बाध (खुली) पहुंच को नियन्त्रित करने वाले आयोग के विनियमों के अनुसार तथा आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार; अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन चक्रण हेतु प्रभारों के अतिरिक्त अधिभार हेतु ; और

(घ) आयोग के विनियमों के अनुसार जो निर्बाध (खुली) पहुंच को नियंत्रित करते हैं तथा आयोग के आदेशों के अनुसार भी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन अतिरिक्त अधिभार हेतु।

6. बहुवर्षीय विद्युत–दर संरचना :

6.1 आयोग ने इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है।

6.2 विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति की अनुज्ञप्ति–प्राप्त गतिविधियों के परिचालन में किये गये व्यय की युक्तियुक्त लागतों की वसूली का प्रावधान किया जाएगा जिसमें निष्पादन के विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी पर प्रतिलाभ को भी जोड़ा जाएगा।

6.3 अनुज्ञप्तिधारियों को उनके वित्तीय विवरण–पत्र तैयार करने होंगे जिन्हें उनके द्वारा विनियम 10 में दिये गये विवरण के अनुसार नियमित रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6.4 इन विनियमों में अपनाए गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य प्रणाली को दक्ष बनाना तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना है। नियंत्रण अवधि हेतु प्रावधान तथा लागत मानदण्ड समस्त सुसंबद्ध

कारकों पर यथोचित विचार करने के पश्चात निर्दिष्ट किये गये हैं। स्वीकार्य विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर निष्पादन प्रस्तुत करने पर बचत का एक भाग पुरस्कारस्वरूप उपभोक्ताओं के मध्य परस्पर वितरित किये जाने हेतु भी अनुज्ञेय किया गया है। इसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दक्ष अनुपालन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

6.5 केवल उन्हीं निवेशों तथा पूंजीगत व्ययों को विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से सेवाकृत किये जाने की लागतों को इस संबंध में वसूली बाबत अनुज्ञेय किया जाएगा जो आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों। इससे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा युक्तियुक्त पूंजी निवेश सुनिश्चित किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुकूलतम पूंजी निवेश सुनिश्चित करने होंगे तथा वितरण प्रणाली क्षमता में वृद्धि तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में पर्याप्त प्रावधान करने होंगे।

6.6 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण तथा विद्युत–दर तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर संरचना निम्न तत्वों पर आधारित होगी :

(क) बहुवर्षीय विद्युत–दर आवेदन जिसमें आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान तथा नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु विद्यमान विद्युत–दरों से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण तथा आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु विद्यमान विद्युत–दरों से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति ;

(ग) अंकेक्षित लेखों पर आधारित आयोग द्वारा पूर्व वर्ष के व्ययों के सत्यापन की तुलना में अनुमोदित पूर्वानुमान तथा निष्पादन में विषमता का श्रेणीकरण जैसा कि वे नियंत्रणीय कारकों तथा अनियंत्रणीय कारकों द्वारा निमित्त किये गये हों ;

(घ) आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानियां के अन्तरण की क्रियाविधि ;

(ङ) आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियंत्रणीय कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानियां के उपचार की क्रियाविधि ; और

(च) आगामी वर्ष हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान तथा पिछले वर्ष हेतु सत्यापन अभ्यास से प्राप्त परिणामों के आधार पर नियंत्रण अवधि के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विद्युत–दर का अवधारण।

7. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

7.1 विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया को आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विनियमों के अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को वहुवर्षीय अवधि के लिए विद्युत–दर अवधारण हेतु आवेदन को विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ जमा करना होगा।

7.2 इन विनियमों के अधीन आवेदक को सत्यापन (ट्रू–अप), सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु निम्न याचिकाएं दाखिल करनी होंगी :

निर्धारित समय–सीमा	याचिका का विस्तार–क्षेत्र
30 नवम्बर, 2021	(क) वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सत्यापन याचिका ;* (ख) वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समग्र नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता ; (ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति तथा प्रक्षेपित राजस्व अन्तर (गैप) या राजस्व अधिशेष (सरप्लस) ; (घ) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव।
30 नवम्बर, 2022	(क) वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सत्यापन याचिका ;* (ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पुनरीक्षित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा सत्यापन याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राजस्व अन्तर या राजस्व अधिशेष ; (ग) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव।
30 नवम्बर, 2023	(क) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सत्यापन याचिका ; (ख) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पुनरीक्षित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा सत्यापन याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राजस्व अन्तर या राजस्व अधिशेष ; (ग) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव।
30 नवम्बर, 2024	(क) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सत्यापन याचिका ; (ख) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पुनरीक्षित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा सत्यापन याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राजस्व अन्तर या राजस्व अधिशेष ; (ग) वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव।
30 नवम्बर, 2025	(क) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सत्यापन याचिका ; (ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पुनरीक्षित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा सत्यापन याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राजस्व अन्तर या राजस्व अधिशेष ; (ग) वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव।
30 नवम्बर, 2026	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु सत्यापन याचिका
30 नवम्बर, 2027	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सत्यापन याचिका

******वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सत्यापन याचिका यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियों तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 के अनुसार दाखिल की जाएगी, तथापि याचिकाओं को इन विनियमों के अनुसार तत्संबंधी वर्ष के अन्तर्गत दिनांक 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करना होगा।*

7.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के लिये जानकारी इन विनियमों में संलग्न प्ररूपों **(परिशिष्ट–एक)** के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन प्ररूपों में प्रस्तुत की गई जानकारी आवेदन का एक भाग होगी। अनुज्ञप्तिधारी को विनिर्दिष्ट प्ररूपों में टैरिफ अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन की संक्षेपिका प्रकाशित करनी होगी जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्देशित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी, आयोग द्वारा जब भी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर (टैरिफ) को

अंतिम किये जाने के प्रयोजन हेतु इसकी प्रस्तुति निर्देशित की जाए, ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करनी होगी।

7.4 आयोग को सदैव वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा वह ऐसे अवधारण के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट की जाए, कार्रवाई करेगा :

परन्तु ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2016 {आरजी–10(I),वर्ष 2016 } में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.5 आयोग अथवा आयोग सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण पश्चात आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर अथवा निर्धारित समयावधि के भीतर किसी अतिरिक्त जानकारी अथवा अभिलेखों के प्राप्त न होने पर, जैसा कि वे किसी आवेदन के प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु आवश्यक समझे जाएं, आयोग द्वारा आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा।

7.6 केवल, पूर्ण आवेदन के साथ समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो आवश्यकताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिये नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा आवेदक को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार सूचित किया जाएगा कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि इस बारे में उसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाले विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य (फीस)) विनियम, 2004 द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

7.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने संबंधी जारी किये गये औपचारिक आदेश से तीन कार्यकारी दिवस के भीतर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.8 आवेदक, आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकों तथा अभिलेखों अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ–साथ वित्तीय विवरण–पत्र एवं परिचालन तथा लागत आंकड़े जैसे कि वे आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि उचित समझे तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी एवं पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकार से युक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा सिवाय उसके जैसा कि आयोग द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए।

8. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण तथा उसके सत्यापन की क्रियाविधि :

8.1 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि को समय–समय पर परिभाषित करेगा। विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त नियंत्रण अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे।

8.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिकाएं विनियम 7.2 में निर्दिष्ट की गई समय सीमाओं के अनुसार दाखिल की जाएंगी। आयोग द्वारा उक्त वर्ष हेतु जिसके लिये सत्यापन हेतु अनुरोध किया जा रहा है, व्ययों तथा राजस्व के आधार पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के सूक्ष्म परीक्षण तथा सत्यापन हेतु समीक्षा की जाएगी।

8.3 यदि अद्यतन रूप से वसूल किया गया राजस्व सत्यापन उपरान्त अवधारित की गई विद्युत–दर से अधिक हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को इस प्रकार वसूल की गई राशि के आधिक्य का प्रत्यर्पण मय धारित (होल्डिंग) लागत के उक्त रीति द्वारा करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन आदेश के अन्तर्गत इस बारे में आदेशित किया जाए। इसी प्रकार, यदि सत्यापन उपरान्त इस प्रकार पहले से वसूल किया गया राजस्व, राजस्व आवश्यकता से कम हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी से कम वसूल की गई राशि की वसूली मय परिवहन (कैरिंग) लागत के उपभोक्ताओं से ऐसी विधि द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में इन विनियमों के प्रावधान के अध्यधीन निर्णय लिया जाए, अनुमति प्रदान की जाएगी।

परन्तु यह कि आयोग द्वारा उपरोक्त धारित (होल्डिंग)/परिवहन (कैरिंग) लागत को सत्यापन के समय स्वीकृत राजस्व अन्तर/अधिशेष आधार दर में 350 आधार बिन्दुओं को जोड़कर, इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार याचिका को निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल किये जाने के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

8.4 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को आयोग के समक्ष याचिका के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

8.5 चक्रण तथा विद्युत आपूर्ति व्यापार से संबद्ध व्ययों का लेखांकन पृथक से किया जाएगा। जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति व्यापार के मध्य सम्पूर्ण लेखांकन पृथक्करण सम्पन्न न कर लिया जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबद्ध व्ययों का विभाजन इन विनियमों में निर्धारित आवंटन आव्यूह (मेट्रिक्स) के अनुसार किया जाएगा।

8.6 कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो किसी अन्य व्यापारिक गतिविधि में भी लिप्त है तथा वितरण व्यापार की परिसम्पत्तियों का भी उपयोग करता हो वह उसके अनुज्ञप्तिप्राप्त व्यापार तथा ऐसे अन्य व्यापार से संबंधित पृथक लेखे संधारित करेगा तथा इन्हें आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा।

8.7 आयोग, सम्पूर्ण नियन्त्रण अवधि बाबत इन विनियमों में अन्तर्निहित सिद्धान्तों पर आधारित वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत चक्रण तथा प्रदाय गतिविधियों बाबत् सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत अवधि के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्रभारों की वसूली बाबत् प्राधिकृत

करेगा। बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत–दर (टैरिफ) सत्यापन याचिकाएं विनियम 7.2 में विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार दाखिल करनी होंगी।

8.8 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि को, आवंटनयोग्य व्ययों की वसूली के प्रयोजन से प्रत्येक अनुज्ञप्ति क्षेत्र को एकल क्षेत्र मानेगा तथा तदनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु पृथक–पृथक चक्रण प्रभारों का अवधारण किया जा सकेगा।

8.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में निम्न घटक सम्मिलित होंगे :–

(एक) विद्युत क्रय लागत ;

(दो) संचालन एवं संधारण व्यय ;

(तीन) अवमूल्यन/अवक्षयण ;

(चार) परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा संबद्ध घटत–बढ़त ;

(पांच) विदेशी विनियम दर परिवर्तन से संबद्ध घटत–बढ़त; अथवा समायोजन की लागत ;

(छः) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(सात) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) पर ब्याज ;

(आठ) पूंजी पर प्रतिलाभ ;

(नौ) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण; तथा

(दस) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार।

घटायें

(ग्यारह) अन्य आय ; और

(बारह) प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त राजस्व

8.10 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण करते समय अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लागत के विवरण प्रदान किये जाने के अतिरिक्त चक्रण (वितरण तन्तुपथ) तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित गतिविधियों के संबंध में पृथक–पृथक लेखांकन विवरण/लागत आवंटन विवरण भी प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण निम्नानुसार हैं :

(क) ऊर्जा लागत को आवंटित मदें, अर्थात् विद्युत क्रय लागत में निम्न लागतें सम्मिलित होंगी :

(एक) विद्युत क्रय की स्थाई लागत ;

(दो) विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत ;

(तीन) अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां ;

(चार) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार ;

(पांच) राज्यान्तरिक पारेषण हानियां ;

(छः) राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार ;

(सात) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार ;

(आठ) विधि अनुसार प्रयोज्य कोई कर या आरोपित राशि (लेवी), तथा

(नौ) विद्युत क्रय पर आरोप्य कोई अन्य प्रभार।

(ख) चक्रण गतिविधियों को आवंटनयोग्य मदों में सम्मिलित होंगे :

(एक) विद्युत वितरण–तंत्र (नेटवर्क) की चक्रण गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय ;

(दो) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन ;

(तीन) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(चार) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(पांच) चक्रण गतिविधि को आवंटनयोग्य पूंजी पर प्रतिलाभ ;

(छः) चक्रण गतिविधि को आवंटनयोग्य पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार ;

(सात) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संबद्ध घटत–बढ़त अथवा समायोजन की लागत।

(ग) विद्युत प्रदाय गतिविधि से संबंधित आवंटनयोग्य व्ययों में सम्मिलित होंगे:

(एक) विद्युत प्रदाय गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय ;

(दो) विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित परिसम्पत्तियों के संबंध में अवक्षयण/अवमूल्यन ;

(तीन) विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(चार) विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(पांच) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज ;

(छः) विद्युत प्रदाय गतिविधि को आवंटनयोग्य पूंजी पर प्रतिलाभ ;

(सात) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण ; और

(आठ) विद्युत प्रदाय गतिविधि को आवंटनयोग्य पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार ;

8.11 जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति व्यापार के मध्य सम्पूर्ण लेखांकन पृथक्करण सम्पन्न न कर लिया जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबद्ध व्ययों का विभाजन इन विनियमों में निर्धारित आवंटन आव्यूह (मेट्रिक्स) के अनुसार किया जाएगा।

विवरण	चक्रण प्रभार	आपूर्ति व्यापार
संचालन एवं संधारण व्यय	70%	30%
अवमूल्यन/अवक्षयण	95%	5%
ऋण पर ब्याज	95%	5%
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	10%	90%
पूंजी पर प्रतिलाभ	90%	10%
विद्युत क्रय लागत, पारेषण एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	0%	100%

8.12 इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञेय किये गये व्यय, जिनकी वसूली अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित हो, अनुवर्ती अवधि हेतु निर्धारित की जाने वाली किसी विद्युत–दर (टैरिफ) के समायोजन के अध्यधीन होंगे, यदि आयोग इस संबंध में सन्तुष्ट हो कि वास्तविक वसूल की गई राशि अथवा किये गये व्यय आधिक्य राशि अथवा राशि में कमी के संबंध में अत्यावश्यक है तथा वे विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य किसी भी कारण से नहीं है अथवा उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारणों से है।

9. ईंधन लागत समायोजन :

9.1 ईंधन लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट फार्मूला) को अधिनियम की धारा 62(4) के अन्तर्गत विद्युत क्रय में वृद्धि या किसी कमी के कारण वसूली/ समायोजन त्रैमासिक आधार पर किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है। ईंधन लागत समायोजन (FCA) की गणना किये जाने के संबंध में विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु कोयला, खनिज तेल तथा गैस हेतु ईंधन की लागत में किसी वृद्धि या कमी के कारण अनियन्त्रणीय लागतों का नियन्त्रण किये जाने बाबत निम्न सूत्र निर्दिष्ट किया गया है :

$$\text{बिलिंग त्रैमास हेतु ईंधन लागत समायोजन (FCA for billing Quarter) (पैसे/यूनिट में)} = \frac{\text{IVC (करोड़ रूपये में) x1000}}{\text{मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale) (मिलियन यूनिट में)}}$$

जहां,

IVC अर्थात् परिवर्तनीय लागत में वृद्धि से तात्पर्य निम्न के योग से है – (अ) प्रत्येक दीर्घ अवधि कोयला या गैस आधारित विद्युत उत्पादक द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) का अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र से प्राप्त की गई यूनिट संख्या का गुणनफल। जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से परिवर्तनीय लागतों को विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु माना नहीं जाएगा।

पिछला त्रैमास (Preceding Quarter) से तात्पर्य पिछले तीन माह की कालावधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक पूर्व दो माह की कालावधि शामिल नहीं की जाएगी।

बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter) का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये ईंधन लागत समायोजन की बिलिंग की जाना है तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास की अन्तिम दिवस को समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक की अवधि, आदि।

मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale) का तात्पर्य समेकित विद्युत विक्रय से है जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादन केन्द्रों + अन्य स्त्रोतों) से पीजीसीआईएल, पारेषण तथा वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर की जाती है।

उदाहरण : यदि 'बिलिंग त्रैमास' माना कि माह "जुलाई से सितम्बर" तक हो तो "पिछले त्रैमास" का तात्पर्य माह "फरवरी से अप्रैल" तक से होगा तथा माह "मई तथा जून" की अवधि आंकड़ों/विवरणों के संग्रहण हेतु ईंधन लागत समायोजन (FCA) को अन्तिम किये जाने हेतु अनुज्ञेय की जाएगी।

9.2 ईधन लागत समायोजन (FCA) की गणना मानदण्डीय मापदण्डों के आधार पर तत्संबंधी समुचित आयोगों द्वारा जारी विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश के अनुसार की जाएगी। आगे किये जाने वाले किसी परिवर्तन के संबंध में आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा।

9.3 ईंधन लागत समायोजन प्रभार की गणना पैसे प्रति यूनिट (किलोवाट ऑवर) के रूप में की जाएगी जिसे निकटतम पैसे तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रयोजन से 0.50 तक के अंश की अवहेलना की जाएगी तथा 0.50 से अधिक अंश को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रभार को, प्रत्येक उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा हेतु विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा, जैसा कि वह लागू हो तथा इसे उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत देयकों में पृथक से दर्शाया जाएगा तथा इसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) का एक भाग माना जाएगा।

9.4 ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA Charge) राज्य की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों को एक समान लागू होगा।

9.5 एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) द्वारा दीर्घ–अवधि कोयला, तेल तथा गैस आधारित विद्युत उत्पादकों से पिछले त्रैमास के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किये गये बिलों के आधार पर विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन की गणना की जाएगी। इस जानकारी को "पिछले त्रैमास" के प्रत्येक माह के लिये निम्न विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त त्रैमास हेतु इसे समेकित किया जाएगा :

माह/त्रैमास	विद्युत उत्पादन केन्द्र/अन्य स्त्रोत का नाम	एक्सबस से आहरित विद्युत की मात्रा	वास्तविक परिवर्तनीय प्रभारों पर आधारित व्यय की गई परिवर्तनीय लागत		टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई दरों के अनुसार परिवर्तनीय लागत		विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि/कमी
		(मिलियन यूनिट में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	(5–7) (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

9.6 एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) द्वारा "मानदण्डीय विक्रय (normative sale)" की गणना की जाएगी। इस प्रयोजन से पिछले त्रैमास के महीनों के लिये वास्तविक पारेषण (अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक तथा मानदण्डीय) वितरण हानि को पिछले त्रैमास के दौरान कुल एक्स–बस पावर में से घटाया जाएगा, जिसके अनुसार मानदण्डीय विक्रय की मात्रा प्राप्त की जाएगी।

9.7 एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) द्वारा ईंधन लागत समायोजन की गणना की जाएगी तथा आवश्यक विवरण आयोग को बिलिंग त्रैमास प्रारंभ होने से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे। आयोग के अनुमोदन पश्चात् ईंधन लागत प्रभार समायोजन आगामी त्रैमास के लिये प्रभारणीय होगा।

9.8 राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ईंधन लागत समायोजन प्रभार की बिलिंग, उक्त बिलिंग त्रैमास के प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दी जाएगी।

10. वार्षिक लेखों, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण :

प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्र तथा ऐसी जानकारी, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा। वित्तीय विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों एवं अनुज्ञप्ति शर्तों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा।

11. विद्युत अवधारण में अंतराल :

किसी वित्तीय वर्ष में, विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर के किसी भी भाग का सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार, केवल विनियम 9 में विनिर्दिष्ट ईंधन लागत समायोजन की शर्तों के अधीन स्पष्टतया अनुज्ञेय किये गये कतिपय परिवर्तनों को छोड़कर, संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आयोग, अपना समाधान हो जाने पर तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही विद्युत–दर एक वर्ष से कम के अन्तराल में संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

12. सार्वजनिक सुझाव, आपत्तियां तथा सुनवाइयां :

अधिनियम की धारा 64(3) के उपबन्धों के अनुसार, आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से पूर्व सार्वजनिक सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात्, आयोग यदि उचित समझे तो हितधारकों से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर सुनवाइयों का आयोजन कर सकेगा तथा उनसे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर यथोचित विचार करते हुए सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर का निर्धारण कर सकेगा।

13. याचिका की अभिस्वीकृति तथा आयोग के आदेश :

13.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्कता/विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के साथ–साथ सत्यापन याचिका से संबंधित प्रस्तुत की गई याचिका को एक अनंतिम प्राप्ति क्रमांक आवंटित किया जाएगा। याचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण जानकारी अथवा वांछित अतिरिक्त जानकारी के संबंध में आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जाएगा। आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट की गई समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा जिसका परिपालन न किये जाने की दशा में याचिका को निरस्त किया जा सकेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। याचिका को स्वीकारयोग्य उसी दशा में माना जाएगा जब इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी के साथ–साथ अतिरिक्त वांछित जानकारी सहित, प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार स्वीकार की गई याचिका को आयोग द्वारा अन्तिम याचिका क्रमांक आवंटित किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 64(3) के अंतर्गत निर्धारित की गई समय–सीमा के भीतर याचिका को प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी किये जाने बाबत पूर्ण माना जाएगा।

13.2 किसी याचिका की अभिस्वीकृति होने पर, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी विशिष्ट जानकारी, विवरण, दस्तावेज/अभिलेख, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों की समीक्षा तथा मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके।

13.3 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा भी, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया जारी रखे जाने या फिर आवेदन निरस्त करने के बारे में समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

14. अनुमोदित विद्युत–दर से भिन्न दर पर प्रभारित किये जाने पर कार्यवाही :

किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में, जिसे उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी पर शोध्य किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसी दशा में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो, वहां इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया हो, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के, जिसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक की तत्संबंधी वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के बराबर होगी, प्रत्यर्पण (रिफंड) किया जाएगा।

15. विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की अवधि के दौरान तथा उसके अन्त में समीक्षा :

15.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई नियतकालिक विवरणिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी जिनमें परिपालन तथा लागत आंकड़े सम्मिलित किये जाएंगे जिससे आयोग को आदेश के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना सुलभ हो सके।

15.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके निष्पादन तथा वित्तीय विवरण–पत्र के वार्षिक विवरण–पत्र आयोग को प्रस्तुत किये जाएंगे।

15.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत विक्रयों को हानियों के अनुज्ञेय स्तर द्वारा समेकित किया जाएगा जैसा कि इसे बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) में ऊर्जा क्रय लागत को प्राक्कलित किये जाने हेतु दर्शाया गया हो जो विनियमों के अनुसार न्यायसंगत विद्युत क्रय मिश्र विचलन के अध्यधीन होगा (उदाहरण के तौर पर, अल्प वर्षा की स्थिति में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से अधिक विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्रय की जा सकेगी)।

15.4 नियंत्रण अवधि के दौरान कतिपय अन्य अनुमोदित लागतों की किन्हीं विषमताओं पर, आयोग द्वारा केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग को यह सन्तुष्ट करा दे कि ये विषमताएं उसके युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हैं। नियंत्रण–योग्य कारणों के अन्तर्गत विषमताओं पर उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि इनका अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार पर यथेष्ठ प्रभाव पड़ता हो।

15.5 नियंत्रण अवधि की समाप्ति से न्यूनतम बारह माह पूर्व, आयोग इन विनियमों में निहित मानदण्डों एवं दीर्घ–अवधि विद्युत–दर (टैरिफ) सिद्धान्तों की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ करेगा।

15.6 ऐसी समीक्षा दीर्घ–अवधि सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के विश्लेषण के उद्देश्य से तथा आगामी अवधि हेतु मानदण्डों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं क्रियाविधि में संशोधन अथवा सुधार की दृष्टि से की जाएगी।

अध्याय दो
विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त

16. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी याचिका :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–1 के उपबंधों के परिपालन में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु निर्दिष्ट किये गये प्ररूपों में संलग्न कर तथा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, में निर्दिष्ट किये गये अनुसार आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर एक याचिका दाखिल करेगा। ये सिद्धान्त दिनांक 01 अप्रैल 2022 से क्रियान्वित किये जाएंगे तथा 31 मार्च, 2027 तक की अवधि तक लागू रहेंगे।

17. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार :

17.1 बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्त 1 अप्रैल, 2022 से पांच वर्षों की अवधि हेतु लागू रहेंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को तद्नुसार टैरिफ निर्धारण अवधि हेतु निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपने प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

17.2 आयोग द्वारा प्रति वर्ष विद्युत चक्रण तथा प्रदाय व्यय अवधारित किये जाएंगे।

18. नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय कारक :

18.1 "अनियंत्रणीय कारकों" में निम्न कारक शामिल किये जाएंगे, जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियो के कारण हैं तथा जिनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना संभव न हो ;

(क) विशेष आकस्मिक घटनाएं ;

(ख) कानून में परिवर्तन ;

(ग) कर शुल्क एवं वैधानिक करारोपण ;

(घ) विक्रयों में विषमता ;

(ङ) अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों में विषमता ;

(च) दीर्घ–अवधि ऋणों की ब्याज दरों में विषमता ; तथा

(छ) इन विनियमों की सुसंगत धाराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन और/या विद्युत क्रय की लागत में विषमता ;

18.2 आवेदक के निष्पादन के अंतर्गत कुछ निदर्शी विषमताएं जिन्हें आयोग द्वारा नियंत्रणीय कारकों से संबद्ध माना जा सकता है, में निम्न कारकों को शामिल किया जा सकता है, जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(क) वितरण हानियों में विषमताएं जिनका मापन उसके अनुज्ञप्ति क्षेत्र में, उक्त वर्ष में विक्रय के संबंध में कुल ऊर्जा के निवेश तथा बिल की गई कुल ऊर्जा के अंतर के रूप में किया जाएगा ;

(ख) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज में विषमता ;

(ग) अनुपालन मानदण्ड विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुपालन में विफलता, केवल उन्हें छोड़कर जहां छूट प्रदान की गई हो;

(घ) संचालन तथा संधारण व्ययों में अंतर।

19. अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों तथा हानियों का अंतरण किये जाने संबंधी क्रियाविधि :

अनियंत्रणीय कारकों के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित लाभ अथवा हानि का अंतरण, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ में समायोजन के रूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत पारित आदेश में अवधारित किया जाए।

20. नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों/हानियों के विभाजन की क्रियाविधि :

नियंत्रणीय कारकों के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को होने वाला सकल लाभ/हानि का अंतरण, केवल संचालन तथा संधारण व्ययों (O&M expense) को छोड़कर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में किया जाएगा। संचालन तथा संधारण व्ययों में अन्तर का संव्यवहार विनियम 36 के अनुसार किया जाएगा।

21. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना :

21.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभार सम्मिलित होंगे किन्तु प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जे तथा परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विदेशी विनियम दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ तथा हानि, जैसा कि ये आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किये गये हों, शामिल न होंगे, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेंगे ;

(ख) निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीगत राशि :–

(एक) तन्तुपथ (लाइनें) – मूल परियोजना लागत का 0.75%
(दो) उपकेन्द्र – मूल परियोजना लागत का 2.5%
(तीन) अन्य यंत्र, जैसे कि कैपेसिटर, आदि–मूल परियोजना लागत का 3.5%

21.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात अनुज्ञेय की गई पूंजीगत लागत ही विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेगी। युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय का सूक्ष्म परीक्षण, वित्तीय–प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत–आधिक्य तथा समय–आधिक्य तथा ऐसे अन्य विषय जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उपयुक्त पाया जाए, शामिल होंगे ;

परन्तु यह कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2022 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगी।

21.3 पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को नियंत्रण अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, बशर्ते यह विद्युत–दर (टैरिफ) पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। इस प्रकार की गई पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त किसी लाभ को उपभोक्ताओं के मध्य अन्तरित कर दिया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इस बाबत् निर्दिष्ट किया जाए।

22. ऋण–पूंजी अनुपात :

22.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से पूर्ण रूप से निर्मित की गई परिसम्पत्तियों हेतु कुल लगाई गई पूंजी पर मानदण्डीय ऋण–पूंजी अनुपात उपभोक्ता अंशदानों, निक्षेप कार्य, अनुदान तथा पूंजीगत सहायतानुदानों को घटाने के पश्चात विनियम 22.2 के अध्यधीन 70:30 होगा। इस विनियम के अनुसार मूल्यांकित की गई ऋण–पूंजी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु किया जाएगा।

22.2 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.04.2022 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाए, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित की गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो ऐसी परिस्थिति में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के वित्तपोषण हेतु उसकी मुक्त संचिति में से सृजित आन्तरिक स्त्रोतों की अंशपूंजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रमियम) राशि, यदि कोई हो, के पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी के रूप में की जाएगी यदि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा आन्तरिक स्त्रोतों को वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो।

22.3 यदि विद्युत वितरण प्रणाली को दिनांक 1.4.2022 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो तो आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किये गये ऋण–पूंजी अनुपात को ही मान्य किया जाएगा।

23. कार्यकारी पूंजी :

23.1 अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न घटक शामिल होंगे :

(एक) औसत बिलिंग के दो माह के बराबर प्राप्य सामग्रियों में से एक माह की विद्युत क्रय लागत तथा कोई उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि तथा अग्रिम भुगतान (प्रिपेड) उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का योग घटा कर के,

(दो) एक माह के संचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(तीन) पूर्व वर्ष की वार्षिक आवश्यकता पर आधारित दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) {विद्युत प्रदाय गतिविधि में विशेष रूप से मापयंत्र (मीटर), मापयंत्र उपकरण तथा जांच उपकरण, सुसंगत होंगे} जिसे पूर्व वर्ष की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के एक प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

23.2 अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न घटक शामिल होंगे:

(एक) एक माह के संचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(दो) दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) (मापयंत्रों, आदि को छोड़कर जिन्हें विद्युत प्रदाय गतिविधि का भाग माना गया है) जो वार्षिक आवश्यकता पर आधारित होगी तथा जिसे पूर्व वर्ष की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों के एक प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

23.3 उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्ड नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रयोज्य होंगे।

24. पूंजी निवेश योजना :

24.1 अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित "वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की शर्तें, 2004" के प्रावधानों के अनुसार एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा। ऐसी पूंजी निवेश योजना में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं से संबद्ध वित्त–प्रबंध योजना, भौतिक लक्ष्यों को दर्शाते हुए, भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण की आवश्यकताओं आदि की पूर्ति हेतु प्रस्तुत करेगा।

24.2 पूंजीगत निवेश योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाओं संबंधी विवरण, सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरणों के साथ, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो नियंत्रण अवधि में प्रारंभ तो की जाएंगी परन्तु उक्त अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत ही पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगीं।

24.3 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 22 के अनुरूप होगा।

25. विक्रयों का प्राक्कलन :

25.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विक्रय का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के श्रेणीवार तथा खण्डवार विद्युत के विक्रय, उपभोक्ता संख्या, संयोजित/संविदाकृत भार, आदि के वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित होगा जिसके साथ अन्य सुसंबद्ध कारकों अथवा कार्यान्वित अध्ययनों पर भी विचार किया जाएगा जिनके परिणाम विक्रयों के आकलन में विषमताओं से लेकर वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों के रूप में प्रकट हो सकते हों। विषमताओं से संबंधित कारणों के वास्तविक रूझानों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संशोधित औचित्यों के साथ आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। नियंत्रण अवधि हेतु उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों के वर्षवार प्रक्षेपण भी याचिका के साथ उपलब्ध कराये जाएंगे।

25.2 पूर्व वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, विद्युत खपत, विद्युत की मांग तथा पूर्व वर्षों में हानियों में कमी के रूझान के औचित्य तथा आगामी वर्षों में प्रत्याशित वृद्धि तथा अन्य कोई कारक, जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाएं, का परीक्षण आयोग द्वारा किया जा सकेगा तथा अनुवर्ती रूप से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत की अनुमानित मात्रा का मय ऐसे संशोधनों के जो उचित समझे जाएं, विद्युत–दर के अवधारण हेतु अनुमोदन किया जाएगा।

25.3 ऐसे किसी प्राक्कलन के प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार दर्शाये अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :

(क) उसकी प्रणाली का उपयोग कर रहे श्रेणीवार खुली पहुंच के उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या। उपभोक्ताओं के संबंध में मांग तथा चक्रित ऊर्जा निम्नानुसार पृथक–पृथक दर्शाई जाएगी :

(एक) विद्युत प्रदाय क्षेत्र के भीतर ; तथा
(दो) विद्युत प्रदाय क्षेत्र के बाहर

(ख) विद्युत् व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विद्युत का विक्रय, यदि कोई हो, तो इसका पृथक से उल्लेख किया जाएगा।

25.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमीटरीकृत उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत खपत को संभरक (फीडर) के साथ–साथ वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर भी ऊर्जा के प्रतिनिधि नमूने/अंकेक्षण के माध्यम से प्रमाणित करना होगा। ऐसे ऊर्जा अंकेक्षण/प्रतिनिधि नमूनों/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, आदि के अभाव में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी दशा में विद्युत की खपत का प्राक्कलन ऐसे मानदण्डों पर आधारित होगा जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जाए। नमूना उपयुक्त आकार का होना चाहिए तथा प्राप्त परिणाम सांख्यिकी तौर पर सार्थक होने चाहिए।

25.5 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में एक स्वतंत्र अध्ययन हेतु निर्देशित कर सकेगा :

(एक) मापयंत्रों की प्रामाणिकता की वस्तुस्थिति, मीटरीकृत उपभोक्ताओं के भार तथा उपभोक्ताओं की श्रेणी के वर्गीकरण का विधिमान्यकरण ;

(दो) अमीटरीकृत उपभोक्ता क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत का खपत का औचक (रैण्डम) नमूना आधार पर निर्धारण करना ;

(तीन) किसी चयनित नमूना क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित किये गये मापयंत्रों (मीटरों) पर आधारित कृषि संभरकों द्वारा विद्युत खपत के आधार पर निर्धारण ;

(चार) पृथक्कृत कृषि संभरकों के माध्यम से उपकेन्द्र पर, संभरक के आहरण बिन्दु पर मापयंत्रों (मीटरों) की स्थापना द्वारा तथा भार प्रवाह अध्ययनों के आधार पर तकनीकी हानियों का अवधारण करना तथा तद्नुसार कृषि संबंधी विद्युत खपत का अवधारण करना।

25.6 आयोग द्वारा मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत खपत को स्थापित करने/प्रमाणित किये जाने के प्रयोजन से किये जाने वाले अध्ययनों के बारे में उसकी विधि तथा क्रियाविधि के बारे में निर्देश प्रदान किये जा सकेंगे। आयोग द्वारा, तद्नुसार अमीटरीकृत खपत हेतु मानदण्डों की समीक्षा की जा सकेगी तथा उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये जा सकेंगे जैसा कि उपयुक्त समझा जाए।

26. वितरण हानियां :

26.1 आयोग द्वारा पिछली नियंत्रण अवधि हेतु समस्त सुसंगत कारकों पर यथोचित विचार करते हुए समस्त हितधारकों से परामर्श द्वारा, समस्त अनुज्ञप्तिधारियों तथा म.प्र. शासन को सम्मिलित करते हुए, वितरण हानियों का प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) निर्दिष्ट किया गया था। इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के अंतर्गत मानदण्डीय वितरण हानि स्तर प्रक्षेत्र–वक्र निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	15.75%	15.50%	15.25%	15.00%	14.75%
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	14.75%	14.50%	14.25%	14.00%	13.75%
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	16.75%	16.50%	16.25%	16.00%	15.75%
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर	1.45%	1.40%	1.35%	1.30%	1.25%

26.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियों को कम किये जाने में तीव्र गति लाई जाती है तथा इस प्रकार यदि वह विद्युत क्रय पर होने वाले व्ययों में बचत करता हो तो इस प्रकार प्राप्त किये गये लाभ को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी परिचालन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अपने स्वयं के पास धारित रखा जाना अनुज्ञेय किया जायेगा।

26.3 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण के माध्यम से तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

26.4 एक विशिष्ट वोल्टेज स्तर तक तथा इससे अधिक हेतु वितरण हानि को वितरण प्रणाली में प्रारंभिक तौर पर अन्तःक्षेपित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उक्त स्तर तक वितरण हानि के अनुसार अभिव्यक्त किया जाएगा।

26.5 आयोग द्वारा वृत्तवार/संभागवार और/या माहवार वितरण हानि की गणना की मांग की जा सकेगी।

26.6 वितरण हानि गणनाओं को प्रमाणित करने हेतु आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उचित तथा विश्वसनीय ऊर्जा अंकेक्षण की मांग की जा सकेगी।

26.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु वोल्टेजवार हानियां भी प्रस्तावित की जाएंगी। इस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को तकनीकी हानि (अर्थात लाइनों, उपकेन्द्रों तथा उपकरण में ओहमिक/कोर हानियां) तथा वाणिज्यिक हानि {अर्थात्, मापन त्रुटियों/अपर्याप्तताओं के कारण अलेखांकित (अनअकाऊन्टेड)

ऊर्जा विद्युत चोरी के रूप में) के पृथक्करण हेतु प्रतिनिधि नमूना आधार पर ऊर्जा अंकेक्षण संचालित करना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी(गण) इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण बाबत प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा/करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वोल्टेजवार वितरण हानियों के संबंध में इन्हें तकनीकी हानि तथा वाणिज्यिक हानि के रूप में पृथक्करण करते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।

26.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सत्यापन याचिका के साथ वास्तविक हानियों का विवरण मय किसी वर्ष हेतु अनुमोदित हानियों के विरूद्ध तत्संबंधी वर्ष हेतु वास्तविक हानियों में विषमता हेतु कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाएगा।

26.9 सत्यापन के समय यदि किसी वृत्त के अन्तर्गत किसी विशिष्ट श्रेणी में वास्तविक बिलिंग दर (विद्युत शुल्क तथा अन्य आय को छोड़कर) उपभोक्ता की कथित श्रेणी हेतु, ईंधन प्रभार समायोजन को सम्मिलित करते हुए, अनुमोदित औसत बिलिंग दर के 95% से कम पाया जाए तथा यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी इस हेतु कारणों को न्यायोचित ठहराने में असमर्थ रहे तो आयोग इस हेतु कुल बिल किये गये वास्तविक राजस्व तथा टैरिफ आदेश में उक्त श्रेणी की औसत बिलिंग दर पर विचार करते हुए पुनरीक्षित विक्रय की गणना करेगा (पुनरीक्षित विक्रय=कुल बिल किया गया वास्तविक राजस्व/विद्युत वितरण कम्पनी की विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत बिलिंग दर)। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक विक्रय तथा आयोग द्वारा गणना किये गये वास्तविक विक्रय के अन्तर को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बुके किया गया आधिक्य विक्रय माना जाएगा। इस प्रकार गुणना किये गये आधिक्य विक्रय को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सत्यापन के समय वर्ष हेतु प्रस्तुत किये गये वास्तविक विक्रय में से घटा दिया जाएगा :

परंतु यह कि आयोग द्वारा समय–समय पर इस क्रियाविधि का समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

27. विद्युत क्रय की आवश्यकता एवं उपलब्धता का प्राक्कलन :

27.1 प्रत्येक वर्ष के अनुमानित विक्रय को मानदण्डीय वितरण हानियों के अनुसार समेकित किया जाएगा जिसके अनुसार उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय आवश्यकता का आंकड़ा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु प्राप्त किया जाएगा। विनिर्दिष्ट वितरण हानियों के अतिरिक्त, उक्त वर्ष हेतु दोनों अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक वितरण प्रणालियों हेतु वितरण हानियों को भी अनुज्ञेय किया जाएगा।

27.2 नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत अधिप्राप्ति योजना को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत क्रय एवं प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया), विनियम, 2004, पुनरीक्षण प्रथम, 2006 {आरजी–19(1), वर्ष 2006)} के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

27.3 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत क्रय आवश्यकता का प्रक्षेपण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग–परक प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों के प्रभाव पर विचार करते हुए करेंगे।

27.4 विद्युत वितरण कम्पनीवार विद्युत की उपलब्धता म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आवंटन के अनुसार होगी। समग्र उपलब्धता का अवधारण करते समय, आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत संयंत्रों तथा किसी अन्य स्त्रोत से उपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा।

27.5 इसके अतिरिक्त, आयोग ने अधिनियम की धारा 86(1)(ई) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपारम्परिक/नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा भी निर्दिष्ट की है। विद्युत की समग्र आवश्यकता में ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की उपलब्धता को भी शामिल किया जाएगा।

28. **विद्युत क्रय की लागत का प्राक्कलन :**

28.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत क्रय लागत नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) योजना पर आधारित होगी।

28.2 विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत क्रय की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित/अनुमोदित/अपनाई गई विद्युत–दर (टैरिफ) पर आधारित होगी तथा नाभिकीय (न्यूकलियर) विद्युत केन्द्रों के प्रकरण में इसकी गणना भारत सरकार द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह कि आगामी वर्ष हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन के समय, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के ऊर्जा प्रभारों पर विचार मानदण्डीय निष्पादन मापदण्ड तथा अन्तिम उपलब्ध लागतों के आधार पर, पिछले बारह महीनों की अवधि हेतु ईंधन की आगमित लागत (landed cost), कर, उपकर (सेस) तथा अन्य आनुषंगिक प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, किया जाएगा।

28.3 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अन्य राज्यों के सहयोग से निष्पादित की गई परियोजनाओं के संबंध में, आयोग टैरिफ का अवधारण अन्य संबंधित विद्युत नियामक आयोगों के परामर्श से करेगा, जहां यह दायित्व केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को न सौंपा गया हो।

28.4 अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों, व्यापारियों तथा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से क्रय की गई विद्युत लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबंधों तथा व्यापारिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इस शर्त के अध्यधीन की जाएगी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में समुचित विनियमों के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

28.5 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत तथा उपभोक्ताओं को किया गया इसका विक्रय आयोग द्वारा अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर आधारित होगा।

28.6 आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत संयंत्रों से अधिप्राप्त की गई विद्युत की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

28.7 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित/अपनाये गये अनुसार होगी। विद्युत की अधिप्राप्ति की लागत का प्राक्कलन करते समय

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह लागत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित की जाएगी।

28.8 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसी वर्ष में क्रय की गई ऊर्जा से संबंधित किसी वित्तीय हानि जो हानियों के मानदण्डीय स्तर से अधिक अतिरिक्त हानियों की पूर्ति हेतु व्यय की गई हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

29. पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को भुगतान योग्य प्रभार :

29.1 राज्य के बाहर से क्रय की गई विद्युत हेतु केन्द्रीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की पारेषण प्रणाली का उपयोग किये जाने पर, पोषण प्रभारों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार मान्य किया जाएगा।

29.2 राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार देय होंगे।

30. वितरण विद्युत–दर :

विद्युत के वितरण हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत क्रय लागत, चक्रण लागत तथा विद्युत प्रदाय लागत सम्मिलित होगी जिसके घटक विनियम 8.10 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

31. पूंजी पर प्रतिलाभ :

31.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर, रूपयों में, विनियम 22 के अनुसार की जाएगी।

31.2 पूंजी पर प्रतिलाभ को दो भागों में अनुमति प्रदान की जाएगी, अर्थात् आधारभूत (बेस) पूंजी पर प्रतिलाभ तथा पूंजी पर अतिरिक्त- प्रतिलाभ जो वास्तविक निष्पादन से संयोजित है।

31.3 आधारभूत (बेस) पूंजी पर आधार प्रतिलाभ को 14% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.4 पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ के सत्यापन के समय इसे निम्न उपबन्धों के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जाएगा :

क) यदि घरेलू श्रेणियों के अन्तर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की अवस्थिति निम्न दर्शाये गये मानदण्डों से कम हो तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ को 0.75% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा :

वर्ष	पूर्ण किया गया मीटरीकरण, कुल संयोजनों के प्रतिशत के रूप में		
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2022–23	92%	100%	84%
वित्तीय वर्ष 2023–24	94%	100%	88%
वित्तीय वर्ष 2024–25	96%	100%	92%
वित्तीय वर्ष 2025–26	98%	100%	96%
वित्तीय वर्ष 2026–27	100%	100%	100%

ख) यदि किसी वर्ष के दौरान पूंजीगत किये गये पूंजीगत निवेश कार्यों का कुल मूल्य उक्त वर्ष हेतु अनुमोदित कार्यों के प्रति 95% से अधिक हो तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रलाभ को 0.75% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा ;

ग) यदि किसी वर्ष के दौरान वास्तविक मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय उक्त वर्ष हेतु अनुमोदित मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के 95% से अधिक है तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ 0.50% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.5 आयकर के भुगतान पर किये गये व्ययों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार पर वास्तविक आधार पर अतिरिक्त रूप से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.6 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उद्ग्रहण किये गये अधिमूल्य (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश, यदि कोई हो, की गणना चुकाई गई पूंजी पर बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप इस शर्त पर की जाएगी कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम)राशि एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जाएंगे तथा अनुमोदित वित्तीय संवेष्टन (पैकेज) का भाग बनेंगे। प्रतिलाभ की गणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से वह विद्युत वितरण व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयोग में लाया गया हो, माना जाएगा।

32. ऋण–पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार :

32.1 ऋण पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु विनियम 22 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण ही सकल मानदण्डीय ऋण माने जाएंगे।

32.2 दिनांक 1.4.2022 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 तक अनुज्ञेय किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति अदायगी घटाकर की जायेगी।

32.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) का लाभ प्राप्त किया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर होगा।

32.4 ब्याज की दर भारित औसत दर के बराबर होगी जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यह कि सत्यापन के समय ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर होगी जिसकी गणना संबद्ध वर्ष के दौरान वास्तविक ऋण की श्रेणी (पोर्टफोलियो) के आधार पर की जाएगी, को ब्याज दर माना जाएगा :

परंतु आगे यह और कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी लम्बित हो तो अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर लागू की जाएगी :

परंतु यह और भी कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण न हो तथा यदि मानदण्डीय ऋण की अदायगी अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत को ब्याज दर माना जाएगाः

परंतु यह और भी कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध पूर्ण रूप से वास्तविक दीर्घ अवधि ऋण लंबित न हो तो तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक एक अप्रैल की स्थिति में मानदण्डीय ऋण पर ब्याज अनुज्ञेय करने के प्रयोजन से आधार दर को ब्याज दर माना जाएगा।

32.5 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

32.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त पूर्ति (रिफायनेन्स) व्यवस्था हेतु सभी संभव प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल बचतों में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त पूर्ति व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को उपभोक्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

32.7 ऋणों की निबंधनों तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

32.8 अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा किये गये प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभारों को आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई दर पर मान्य किया जाएगा।

33. **अवमूल्यन/अवक्षयण** :

विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(क) परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत, अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

(ख) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन शामिल होगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक ही अवमूल्यन अनुज्ञेय किया जाएगा।

(घ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नही माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ङ) अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष "नियत किस्त पद्धति" के आधार पर की जाएगी तथा वितरण प्रणाली की उन परिसम्पत्तियों हेतु जो दिनांक 31.03.2022 के पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाएं, **परिशिष्ट–दो** में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी :

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 15 वर्षों की अवधि के पश्चात परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता के अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को आयोग द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(च) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2022 की स्थिति में शेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को जोड़कर, संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को **परिशिष्ट–दो** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच न जाए। तत्पश्चात्, शेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के शेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार प्रसारित किया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

(छ) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक अंश हेतु हो तो अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा।

34. उपभोक्ता अंशदान, जमा निर्माण कार्य, अनुदान तथा पूंजीगत सहायतानुदान :

34.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित किये गये कार्यों के निम्न श्रेणियों के व्यय विनियम 34.2 में निर्दिष्ट अनुसार माने जाएंगे :

(क) निधि के माध्यम से हाथ में लिये गये कार्य, जिन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है तथा जो जमा निर्माण कार्यों (डिपाजिट वर्क्स) या उपभोक्ता अंशदान कार्यों की श्रेणी में आते हैं ;

(ख) राज्य तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों या पूंजीगत अनुदान के माध्यम से हाथ में लिये पूंजीगत कार्य ;

(ग) हाथ में लिये गये अन्य कार्य जिनका निधीयन बिना किसी अदायगी आबन्ध के तथा बिना किसी ब्याज देयता के किया जाता है।

34.2 ऐसे पूंजीगत कार्यों पर व्ययों का संव्यवहार निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मानदण्डीय संचालन तथा संधारण व्ययों को अनुज्ञेय किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की राशि को घटाने के पश्चात ऋण–पूंजी अनुपात पर विचार विनियम 22 के अनुसार किया जाएगा ;

(ग) विनियम 31 में निर्दिष्ट पूंजी पर प्रतिलाभ से संबंधित प्रावधान इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू न होंगे ;

(घ) विनियम 32 में निर्दिष्ट ऋण पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू न होंगे ;

(ङ) विनियम 33 में निर्दिष्ट अवमूल्यन/अवक्षयण से संबंधित प्रावधान इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू न होंगे।

35. **पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :**

पट्टे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों हेतु पट्टा प्रभारों पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जा सकेगा बशर्ते आयोग द्वारा प्रभारों को युक्तियुक्त समझा जाए।

36. **संचालन एवं संधारण व्यय :**

36.1 संचालन एवं संधारण व्ययों में निम्न व्यय शामिल होंगे :

(क) कर्मचारी व्यय
(ख) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, और
(ग) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय।

36.2 कर्मचारी व्ययों तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की अवधि हेतु आयोग के युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन वास्तविक व्ययों की औसत के आधार पर प्राप्त किये गये असमान्य व्यय, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं किये जाएंगे :

परन्तु यह कि ऐसे व्ययों की औसत को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु व्यय के रूप में माना जाएगा तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु तत्संबंधी वृद्धि दर के आधार पर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसके अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले आधार वर्ष हेतु व्ययों के आंकड़े प्राप्त किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह और कि वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर की गणना भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अनुसार तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों हेतु मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित औसत वार्षिक मुद्रास्फीति को 30 प्रतिशत भारित करते हुए मानकर प्राप्त की जाएगी तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति को भारित करते हुए मानकर प्राप्त की जाएगी तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर 70 प्रतिशत भारिता (वेटेज) को भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के अनुसार, तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों के औद्योगिक कामगारों (अखिल भारतीय) हेतु मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

36.3 अनुवर्ती वर्ष हेतु कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के आधार वर्ष व्ययों में मुद्रास्फीति कारक (इन्फ्लेशन फेक्टर) में वृद्धि द्वारा मय 30 प्रतिशत भारिता (वेटेज) के भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अनुसार तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों हेतु मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित किया जाएगा तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति पर 70 प्रतिशत भारिता (वेटेज) को भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के

अनुसार, तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों के औद्योगिक कामगारों (अखिल भारतीय) हेतु मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

36.4 मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर हेतु 5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किये जाऐंगे। इसके अतिरिक्त, यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट यथासंशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हों तो विद्युत वितरण कम्पनियों का अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की 0.5 प्रतिशत राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त, यदि अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 26.1 के अनुसार विनिर्दिष्ट वितरण हानि लक्ष्य प्राप्त करता हो तो उसे अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की 0.5 प्रतिशत राशि भी प्राप्त करने की पात्रता होगी या फिर उसे पूर्व वर्ष की तुलना मे हानियों मे न्यूनतम 3 प्रतिशत की कमी प्राप्त करनी होगी।

36.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वास्तविक कर्मचारी व्ययों, प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों और मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों के विवरण सत्यापन याचिका प्रस्तुत करते समय करेंगे।

36.6 कर्मचारी व्ययों, प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों में विषमता का उपचार निम्नानुसार किया जाएगा :

एक. आयोग युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन वास्तविक कर्मचारी व्ययों का भुगतान अनुज्ञेय कर सकेगा :

परन्तु यह कि आयोग मंहगाई भत्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) व्ययों, पेंशन, सेवान्त प्रलाभों (टर्मिनल बेनीफिट) तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन का भुगतान वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुज्ञेय कर सकेगा।

दो. आयोग युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का भुगतान अनुज्ञेय कर सकेगा :

परन्तु यह कि शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को भुगतान किये गये शुल्कों को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुज्ञेय किया जाएगा।

तीन: आयोग वास्तविक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय को उच्चतम मानदण्डीय मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों के अध्यधीन अनुज्ञेय करेगा।

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण :

इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीन माह के भीतर अनुज्ञप्तिधारी डूबन्त् ऋणों के चिन्हांकन हेतु तथा इन्हें बट्टे खाते में डालने हेतु प्रारुप नीति तथा प्रक्रिया आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को जिस सीमा तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में, अन्तिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्र में वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, (आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार) अनुज्ञेय

किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए, तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा तथा वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

38. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार :

कार्यकारी पूंजी की गणना इन विनियमों के उपबन्धों में किये गये प्रावधान के अनुसार की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर + 350 आधार अंकों के बराबर होगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाह्य संस्था से पूंजीगत ऋण प्राप्त किया हो अथवा मानकीकृत आधार पर गणना की गई कार्यकारी पूंजीगत ऋण से अधिक राशि का ऋण प्राप्त किया हो।

39. विदेश विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) :

39.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय की अनावृत्ति को वितरण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण तथा विदेशी ऋण की अदायगी के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपनी स्वेच्छानुसार कर सकेगा।

39.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेश विनिमय दर परिवर्तन का समायोजन, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब वह व्यय के रूप में उद्भूत हो, कर सकेगा तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित किये गये विदेशी ऋण के विरूद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

40. आय पर कर :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आय स्त्रोतों पर भुगतान किया गया वास्तविक आय कर उपभोक्ताओं से विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से से वसूलीयोग्य होगा :

परन्तु दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की अवधि का विलम्बित कर दायित्व कार्यान्वित होने पर ये विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से वसूलीयोग्य होगा।

41. विद्युत–दर (टैरिफ) आय :

आयोग द्वारा विद्युत के वितरण एवं प्रदाय हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से आय को विद्युत–दर (टैरिफ) आय माना जाएगा। विद्युत–दर (टैरिफ) आय में स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों, न्यूनतम प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा अन्य प्रभारों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होगा जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा भिन्न–भिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु अवधारित किया जाए।

42. अन्य आय :

42.1 विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य आय की राशि को अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में से घटाया जाएगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्य आय के पूर्वानुमान की राशि के पूर्ण विवरण आयोग को ऐसे प्ररुप में जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए प्रस्तुत करेगा।

42.2 अन्य आय में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाएगा :

(क) भूमि अथवा भवन के भाड़े से आय ;

(ख) रद्दी माल (स्क्रेप) के विक्रय से आय ;

(ग) पूंजी निवेश से प्राप्त आय ;

(घ) सामग्री प्रदायकों (सप्लायर्स)/ठेकेदारों को प्रदान की गई अग्रिम राशि के ब्याज से प्राप्त आय ;

(ङ) कर्मचारी आवासगृहों के भाड़े से प्राप्त आय ;

(च) ठेकेदारों को प्रदान की गई सामग्री से आय ;

(छ) ठेकेदारों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त भाड़ा प्रभारों से आय ;

(ज) यथाप्रयोज्य मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम के अनुसार अधिरोपित उपभोक्ता प्रभारों से आय ;

(झ) निर्माण कार्यों हेतु पर्यवेक्षण प्रभार ;

(ञ) विज्ञापनों से आय ;

(ट) निविदा प्रपत्रों के विक्रय से आय ;

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई छूट की राशियों (रिबेट्स) का विभाजन जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित किया जाएगा तथा जिसे आयोग के निर्णयानुसार उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जाएगा ;

(ड) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई प्रोत्साहनों की राशियों का विभाजन जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित किया जाएगा तथा जिसे आयोग के निर्णयानुसार उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जाएगा ;

(ढ) अन्य कोई गैर–टैरिफ आय जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाए ;

परन्तु यह कि (i) आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ पर किये गये निवेश पर अर्जित की गई आय तथा (ii) आकस्मिक आरक्षित राशि से किये गये निवेश पर अर्जित ब्याज को विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से तथा सत्यापन हेतु अन्य आय नहीं माना जाएगा।

42.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा।

43. विलंब भुगतान अधिभार :

43.1 यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा।

विलंब भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा। उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के स्थाई तौर पर विच्छेदन के पश्चात की अवधि के दौरान विलंब भुगतान अधिभार को अधिरोपित नही किया जाएगा।

43.2 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता व विद्युत–दर एवं अन्य आय के मध्य अंतर के अवधारण हेतु विलंब भुगतान अधिभार को आय नहीं माना जाएगा।

43.3 अनुज्ञप्तिधारी यदि राजस्व वसूली में वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक समझे तो किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या श्रेणी हेतु विलंब भुगतान अधिभार की वसूली को माफ किया जा सकेगा, परन्तु ऐसी कार्यवाही सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूली की अर्हता नहीं रखेगी।

44. चक्रण विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण :

44.1 चक्रण विद्युत–दरों का अवधारण विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत चक्रण व्यापार हेतु आवंटित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

44.2 अनुज्ञप्तिधारी की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से विभिन्न वोल्टेज स्तरों के मध्य आवंटित किया जाएगा।

44.3 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को वोल्टेजवार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर आधारित विभिन्न वोल्टेज स्तरों के मध्य आवंटित किया जाएगा।

44.4 चक्रण लागत को तत्पश्चात आवंटन उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के उपयोग पर आधारित (उपभोक्ता को विद्युत विक्रय के मापन आधार पर) किया जाएगा।

44.5 आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के अनुसार इस प्रकार अवधारित की गई विद्युत दरें निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को प्रयोज्य होगी।

45. उपभोक्ताओं को विद्युत–प्रदाय हेतु विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण :

आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूलीयोग्य प्रभारों का अवधारण निम्न सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा :

(क) उपभोक्ताओं की खुदरा विद्युत–प्रदाय विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण आयोग समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए करेगा।

(ख) आयोग उपभोक्ताओं का वर्गीकरण भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर), वोल्टेज, किसी विशिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत, या वह समय जब आपूर्ति की आवश्यकता हो या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर आधारित, प्रदाय की प्रकृति तथा प्रयोजन जिस हेतु आपूर्ति आवश्यक है, के आधार पर करेगा।

(ग) आयोग द्वारा अतिरिक्त या घटाये गये क्षेत्रीय–विशिष्ट प्रभारों का अवधारण उच्च/न्यून वितरण हानियों, विद्युत प्रदाय की उच्च/न्यून विश्वसनीयता, स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित उच्च पुनर्स्थापना प्रभार, सार्वभौमिक सेवा आबंध (यूनिवर्सल सर्विस ऑबलीगेशन) से परे प्रयोजनों हेतु पूंजीगत व्यय तथा सुरक्षा

उपायों, आदि के रूप में क्षेत्र की विशिष्टता के दृष्टांतों को प्रतिबिंबित करने हेतु किया जा सकेगा ;

परन्तु यह कि स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर, अतिरिक्त या घटाई गयी विद्युत–दर निश्चित क्षेत्रों में ही अधिरोपित की जा सकेगी, जैसा कि उचित समझा जाए।

(घ) आयोग किसी छूट (रिबेट)/प्रोत्साहन (इनसेंटिव)/ अर्थदण्ड(पैनाल्टी)/अधिभार (सरचार्ज) का अनुमोदन विद्युत–दर (टेरिफ) आदेश के भाग के रूप में कर सकेगा जो कि केवल भार कारक प्रोत्साहन, ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड, त्वरित भुगतान छूट, विलंब भुगतान अधिभार, समयानुपाती (टाईम ऑफ डे) प्रोत्साहन/अधिभार, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार (रिएक्टिव एनर्जी चार्ज), ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रोत्साहन तथा मांग–परक प्रबन्धन तक ही सीमित न होगा।

(ङ) विद्युत आपूर्ति की निबन्धन तथा शर्तें आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये टैरिफ आदेशों के माध्यम से नियंत्रित की जाएंगी।

46. अन्तर–श्रेणी अन्तरण अथवा प्रतिसहायतानुदान :

विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की समग्र प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि युक्तियुक्त लागतों को समस्त उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जाए। तथापि, उपभोक्ताओं के समस्त समूहों को बिना किसी असहनीय टैरिफ आघात के वहनीय दर पर विद्युत प्रदान करने के सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतएव, टैरिफ नीति के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक श्रेणी हेतु विद्युत–दर का अवधारण करते समय प्रति–सहायतानुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। विद्युत–दर अवधारण में उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रति–सहायतानुदान दर्शाया जा सकता है तथा इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी जिससे टैरिफ नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

47. प्रतिराज्यानुदान अधिभार (क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज) :

कोई उपभोक्ता जो किसी विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय के क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित उपभोक्ता को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबन्धन एवं शर्तों से संबंधित विनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभांजन करता हो, को प्रतिराज्यानुदान अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अवधारित किया जाए। ऐसे प्रतिराज्यानुदान अधिभार का अवधारण भारत सरकार द्वारा जारी तथा समय–समय पर यथासंशोधित टैरिफ नीति के अनुसार किया जाएगा।

48. अतिरिक्त अधिभार :

अधिनियम की धारा 42(4) के अनुसार विद्युत प्रदाय संबंधी आबन्ध हेतु अतिरिक्त अधिभार केवल उसी दशा में प्रयोज्य होगा यदि ऐसा निश्चयात्मक रूप से प्रदर्शित कर दिया जाए कि अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता, विद्यमान विद्युत क्रय प्रतिबद्धताओं के रूप में अप्रयुक्त (स्ट्रैण्डिड) रह जाएंगी तथा ऐसा होना जारी रहेगा तथा यह भी कि ऐसी संविदा के परिणामस्वरूप स्थाई लागत को वहन करने की अपरिहार्य प्रतिबद्धता सदैव उपस्थित रहती है।

49. विद्युत–दर श्रेणियों तथा उपभोक्ताओं को विद्युत–दरों से अवगत कराया जाना :

49.1 आयोग, अधिनियम की धारा 62 के अधीन विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूलीयोग्य प्रभारों के विवरण निर्दिष्ट करेगा। टैरिफ अवधि हेतु विनिर्दिष्ट वोल्टेज स्तरों पर उपभोक्ता श्रेणियां व्यापक रूप से निम्नानुसार हो सकती हैं :

एक. भारी औद्योगिक उपयोग जिसमें रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन), कोयला खदानें, मौसमी (सीजनल) उपयोग आदि सम्मिलित है;

दो. गैर–औद्योगिक उपयोग;

तीन. घरेलू उपयोग;

चार. गैर–घरेलू उपयोग;

पांच. सार्वजनिक पथ–प्रकाश/जलप्रदाय व्यवस्था;

छः. कृषि, सिंचाई तथा कृषि आधारित उद्योग;

सात. लघु तथा मध्यम उद्योग हेतु औद्योगिक प्रेरक बल (मोटिव पावर);

आठ. विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन);

नौ. अन्य कोई श्रेणियां, जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

49.2 आयोग, नियंत्रण अवधि के किसी भी वर्ष में, उपरोक्त दर्शाई गई व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत उपयुक्त उप–श्रेणियों/खपत–खण्डों को निर्धारित कर सकेगा तथा पृथक–पृथक, विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसी प्रत्येक उप–श्रेणी/खपत–खण्डों/भार–खण्डों बाबत् निर्धारित कर सकेगा।

49.3 आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रभारों के विवरण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के उपरांत ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, उपभोक्ताओं की सूचना हेतु प्रकाशित करने होंगे।

अध्याय तीन–विविध

50. मानदण्डों से विचलन :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन द्वारा भी अवधारित किया जा सकेगा।

51. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा करने अथवा उसका उत्तरदायित्व लेने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा समीचीन हैं।

52. संशोधन करने की शक्ति :

आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

53. निरसन तथा व्यावृत्ति :

53.1 विनियम अर्थात् इन विनियमों की विषयवस्तु को लागू हुए रूप में "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 (आरजी–35(II), वर्ष 2015)" जो राजपत्र में अधिसूचना–क्रमांक 2256/मप्रविनिआ/2015 दिनांक 17.12.2015 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं तथा संशोधनों के साथ पठित हैं, एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

53.2 उपरोक्त दर्शाए गये विनियमों की निर्दिष्ट अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के सत्यापन तथा विद्युत–दर (टैरिफ) से संबंधित अन्य विषयों को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा।

53.3 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

53.4 इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से भिन्न हो, लेकिन जिन्हें आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवश्यक या समीचीन समझता हो।

53.5 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाए गए हों और आयोग ऐसे मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

आयोग के आदेशानुसार,

गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

परिशिष्ट–एक

अंग्रेजी में अधिसूचित विनियमों के साथ संलग्न

परिशिष्ट–दो

अवमूल्यन अनुसूची

परिसम्पत्ति की विशिष्टताएं			अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य=10%)	उपयोगी जीवनकाल
(अ)	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि		0.00%	अनन्त (Infinite)
(ब)	पट्टे के अंतर्गत भूमि			
(ए)	भूमि में निवेश हेतु		3.34%	पट्टे की अवधि या पट्टे के अभिहस्तांकन पर अवधि जो प्रवर्तमान (unexpired) है
(बी)	स्थल की सफाई की लागत हेतु		3.34%	स्थल सफाई (Site clearance) की तिथि को अवशेष प्रवर्तमान अवधि
(स)	नवीन क्रय की गई परिसम्पत्तियां			
(ए)	निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य			
	(i)	कार्यालय एवं शोरूम	3.34%	50 वर्ष
	(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	100.00%	1 वर्ष
	(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	3.34%	50 वर्ष
	(iv)	अन्य	3.34%	50 वर्ष
(बी)	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)			
	(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	4.30%	25 वर्ष
	(ii)	अन्य	4.30%	25 वर्ष
(सी)	स्विचगिअर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए		4.30%	25 वर्ष
(डी)	तड़ित चालक			
	(i)	स्टेशन प्रकार	4.30%	25 वर्ष
	(ii)	खंभा प्रकार	6.00%	15 वर्ष
(ई)	सिन्क्रोनस कन्डेंसर		4.30%	35 वर्ष
(एफ)	बैट्रियां		9.00%	10 वर्ष

	(i)	भूमिगत केबल, जाईंट बाक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉकस सम्मिलित कर	4.30%	35 वर्ष
	(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	4.30%	50 वर्ष
(जी)	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया हो		4.30%	35 वर्ष
(एच)	मापयंत्र (मीटर)		6.00%	15 वर्ष
(आई)	स्वचालित वाहन		9.50%	10 वर्ष
(जे)	वातानुकूलन संयंत्र :			
	(i)	स्थैतिक (स्टैटिक)	4.30%	15 वर्ष
	(ii)	वहनीय (पोर्टेबल)	9.50%	10 वर्ष
(के)	(i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	6.33%	15 वर्ष
	(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%	15 वर्ष
	(iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग्स तथा उपस्कर सम्मिलित करते हुए	6.33%	15 वर्ष
	(iv)	पथ–प्रकाश फिटिंग्स	4.30%	15 वर्ष
(एल)	उपस्कर भाड़े पर प्रदान करना			
	(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%	10 वर्ष
	(ii)	मोटरें	6.33%	15 वर्ष
(एम)	संचार उपकरण			
	(i)	रेडियो तथा उच्च संचार संवाहन प्रणाली	6.33%	15 वर्ष
	(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	6.33%	15 वर्ष
(एन)	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण		15.00%	15 वर्ष
(ओ)	सूचना प्रौद्योगिकी/स्काडा सॉफ्टवेयर		9.00%	10 वर्ष
(पी)	अन्य परिसम्पत्तियां जो अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं		3.40%	कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार